

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/

47704

जयपुर, दिनांक: 10/08/2015

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-अजमेर						
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विजयनगर	एस.टी.	75	10	0	65
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मसूदा	एस.टी.	35	0	10	45
योग			110	10	10	110
जिला-अलवर						
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रैणी	एस.टी.	50	15	0	35
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, संकट	एस.टी.	25	0	15	40
योग			75	15	15	75
जिला- बांसवाड़ा						
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांसवाड़ा	एस.टी.	100	0	20	120
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घाटोल	एस.टी.	120	40	0	80
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सज्जनगढ़	एस.टी.	90	30	0	60
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बौरी	एस.टी.	70	5	0	65
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडी सरवा	एस.टी.	35	0	15	50
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लौहारिया	एस.टी.	35	0	15	50
11.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, सज्जनगढ़	एस.टी.	35	0	15	50
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गढी	एस.टी.	90	0	10	100
योग			575	75	75	575
जिला-चित्तौड़गढ़						
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बडी सादडी	एस.टी.	35	0	15	50
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रावतभाटा	एस.टी.	50	20	0	30
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोरवा	एस.टी.	40	10	0	30
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बरसी	एस.टी.	25	0	25	50
17	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, चित्तौड़गढ़	एस.टी.	75	0	20	95
योग			225	30	60	255
जिला-टोंक						
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, निवाई प्रथम	एस.टी.	75	15	0	60
19	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, अलीगढ़	एस.टी.	25	0	15	40
योग			100	15	15	100
जिला-उदयपुर						
20	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, उदयपुर	एस.टी.	75	0	25	100

21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैरवाड़ा	एस.टी.	50	15	0	35
22	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, भुवाणा बाईपास	एस.टी.	50	10	0	40
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कोटड़ा	एस.टी.	125	50	0	75
24	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भीण्डर	एस.टी.	50	0	10	60
25	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झोडाल फलासिया	एस.टी.	105	25	0	80
		योग	455	100	35	390
जिला- जयपुर (शहर)						
26.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, गांधीनगर	एस.टी.	75	0	25	100
		योग	75	0	25	100
जिला- करौली						
27	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, करौली	एस.टी.	40	0	5	45
28	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सपोटरा प्रथम	एस.टी.	40	0	5	45
		योग	80	0	10	90
		महायोग	1695	245	245	1695

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 10/08/2015

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 47705-35

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर,
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)